

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अदालत
हुकम या
कार्यवाही

निगत की गई। साक्ष्यवादी में
पुरुषों, तावतों, नंदा लावावा,
सोहनी, उदा के शपथ पत्र
पेश हुए। तथा शरपंग
गणप पंचायत पिण्ड का उपाज
पत्र पेश किया गया।
जिसे बताना गया है कि सीमा
बाई पत्नी गुरुराज का रसी
त्रिनाथी पिण्ड को जाहरा प्रा।
सीमाबाई करीब 12 वर्षों से
लापता है। पिण्ड पर जन्म के
ही सीमाबाई के सभी पुत्रों
का खबरा है। तथा सीमा
बाई लापता कुर्गुग की शीट
प्रति जिन्दा रहते या तक
कैरी संदेश नहीं है।
पत्रावली पर प्रात किया गया।
पुत्रि वादग्रस्त काराजीमा ह
वादीगण व प्रतिवादी नं। की
पैनि न पुरतनी काराजीमा ह
है तथा खातेदार काराजी
रहते हो चुकी है जिसे
सम्पत्ति विधिक कारीगण
सोहनी बाई है। तथा कारीगण
व प्रतिवादी नं। की कारा तथा
वादीमा सोहनीबाई की साक्ष्य
सीमाबाई वादग्रस्त काराजीमा ह
की सिमाईस खातेदार है।
पुत्रि सीमाबाई के खातेदारी
की काराजीमा ह कारीगण

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

द्वे प्राप ही है जिसे
जन्म के ही कारीग
करते पत्रे का र
किसी कारी बाई
का भी कोई कार्य
जिसे वादग्रस्त
नं। सीमाबाई
जाहरा प्रसवे का
की काराजीमा ह
तथा प्रतिवादी नं।
संपुनत रूप से
जाकर विहित
व्यापकित है।
अतः आदेश दिया
पिण्ड/पिण्डरी की
ख. नं. 836, 838
1141 उर लिहा
1.49 हेमट. खाते
नं. 875 खाता
सं. 245 की
लिहा 2 उर
खाता सं. 246
1598 उर लि
1.05 हेमट.,
ख. नं. 1596,
उर खाता
पिण्डरी की
ख. नं. 8 र
सं. 73 की
2 उर खाता

संख्या
अहकाम
हुक्म की
में जारी

हुक्म या कार्यवाही तथा इतिहासिक जज

संख्या व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

इस वादा में है कि यह पर कमीशन
जमा है कि कमीशन से कमीशन
करके मालिकों को है कि
कम की जायगी कि कमीशन से
जा ही कोई कमीशन नहीं है
कि कमीशन वादा पर कमीशन
से है कि कमीशन का नाम हुआ
जायत इससे नाम की कार्यवाही
की कारवाही में वादी गज
तथा प्रतिवादी त. का नाम
संपुनर रूप से कि कि
जायत कमीशन दिया जाय
व्यापकित है।

अह: आदेश दिया जाता है कि सौदा
पिण्ड/पिण्डरी की खाता सं. 230 की
खा. नं. 836, 838, 1138, 1139, 1140,
1141 कुल किता 6 कुल रकबा
1.49 हेक्टर. खाता सं. 231 की खा.
नं. 875 रकबा 0.73 हेक्टर. खाता
सं. 245 की खा. नं. 1136, 1137 कुल
किता 2 कुल रकबा 0.35 हेक्टर.
खाता सं. 246 की खा. नं. 1579,
1598 कुल किता 2 कुल रकबा
1.05 हेक्टर. खाता सं. 258 की
खा. नं. 1596, 1599 कुल किता 2
कुल रकबा 0.07 हेक्टर. तथा सौदा
पिण्डरी की खाता सं. 72 की
खा. नं. 8 रकबा 0.1700 हेक्टर, खाता
सं. 73 की खा. नं. 14, 15 कुल किता
2 कुल रकबा 1.16 हेक्टर खाता

Handwritten notes in the left margin, including the word 'आया' (Aaya) and other illegible characters.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुक्म

क्र. २५ की डा. तं. ५२४, ५४२ नुस
क्रि. २ नुस रकबा ०.४५ हेमर
में से जीताबाई का नाम हयना
जाका उरुके खातेदारी की
सम्पूर्ण साराजीपात को वादीगण
व प्रतिवादी नं. १ के नाम संयुक्त
रूप से दर्ज की जावे।
इसी संयुक्त संपत्ति कि
गुणित हो। पचावती के फल
शुभार हो का नरका से काग हो



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मुजिस्ट्रेट, (क. ट्रेक) बड़ोसादही चित्तौड़गढ़